3.6/3.5/11.5-17

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या–जी0/यो0–31–16/2026/ 8389 /जे0, पटना, दिनांक 12.10.26

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के 12 कोर्ट भवन के द्वितीय तल पर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चैम्बर, कोर्ट रूम एवं कार्यालय के विद्युत अधिष्ठापन एवं विद्युत कार्य के जीर्णोद्धार कार्य के निमित रू0 9,68,839/– (नौ लाख अड़सठ हजार आठ सौ उनचालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के 12 कोर्ट भवन के द्वितीय तल पर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चैम्बर, कोर्ट रूम एवं कार्यालय के विद्युत अधिष्ठापन एवं विद्युत कार्य के जीर्णोद्धार कार्य के निमित रू0 9,68,839/– (नौ लाख अड़सठ हजार आठ सौ उनचालीस रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है ।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उप मुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघुशीर्ष–053–रख–रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0026–कोर्ट भवन, जिला कोर्ट आदि का अनुरक्षण एवं मरम्मत। विपत्र कोड–03–2059010530026 है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ0–31/टि0, दिनांक–29.09.2026, सं0सं0– जी0/यो0–31–16/2026)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ0–33/टि0, दिनांक–07.10.2026, सं0सं0– जी0/यो0–31–16/2026)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या– जी0/यो0–31–16/2026/ 8389 /जे0, पटना, दिनांक 12.10.26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.10.26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

P.T.O